

न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ जिला झुञ्जुनू

पीठासीन अधिकारी : स्वाति आर.टी.एस  
मिसल नं.- 68/2023  
सरकार बनाम बाबुलाल, राजेश, सुबेसिंह पुत्र बीरबलराम  
जाति कुम्हार निवासी काजडा तहसील  
सूरजगढ

किस्म मुकदमा-अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक: 18.12.2023

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। इस प्रकरण में सक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल बाबुलाल, राजेश, सुबेसिंह पुत्र बीरबलराम जाति कुम्हार निवासी काजडा तहसील सूरजगढ द्वारा रोही मौजा काजडा की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 181 के कुल रकबा 0.51 है. किस्म गै. मु. रास्ता में से 0.04 है. भूमि को गै.मु. रास्ते को तारबाड करके अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गयी। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिए जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 10 रूपए कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवायी जावे। पटवारी/गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)

तहसीलदार, सूरजगढ

रा० ले० सं० 4 के पृष्ठ सं. 42 पर  
वर्ष 23-24 में रुपये 10/- कायम किए  
राजस्व लेखाकार